(d) Efforts are being made to find an acceptable solution to the outstanding problems in consultation with the ronsern-ed parties.

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन न किया जाना

984. श्री ईश दत्त यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन विभागों और उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है और इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से नियमानुसार यह अपेक्षित है कि वे हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दें तथा हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा व्यक्तियों से पत्राचार हिन्दी में करें । साथ ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश संकल्प अधिसूचनाएं रिपोर्ट आदि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है । इन प्रावधानों का अनुपालन अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है । अन्य पत्राचार में राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिशतता निर्धारित की गई है । यह पाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कार्यालय इस प्रतिशतता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु निर्धारित प्रतिशतता अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, यद्यपि इस दिशा में पिछले वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Evidence Against Police in Punjab

985. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the daily "The Pioneer" dated 26th March, 1992, Delhi edition under the caption Evidence- surfaces against police, watery grave for Punjab militants";

(b) if so. whether Government have enquired into the matter and if so, the findings thereof; and

(c) what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M,, M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) A case has already been registered which is under investigation.

(c) Question does not arise.

Autonomous Hill Council for Ladakh

986. SHRIMATI CHANDRIKA ABHI NANDAN JAIN : Will- the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply to Started question 120 given in Rajya Sabha on the 4th November, 1991 and state :

(a) whether Government have decided to establish an autonomous hill Council for Ladakh region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it would be set up, what powers it would enjoy and in what manner?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) In April 1992, the Home Minister met the representatives of both the districts

of Ladakh region including the Ladakh Buddhist Association to evolve a common approach in solving their problems and in the context of the demand of Ladakh Buddhist Association for an autonomous District Hill Council. It was followed by an official level meeting in which some representatives sought to defer the discussions for enabling them to further discuss the matter internally. It was therefore decided in consultation with the representatives of both the districts to hold further discussions in the 3rd week of May, 1992.

In the meeting, the representatives of Leh and Kargil agreed on the importance and urgent necessity for maintaining communal harmony and for interaction to achieve it.

शराब की बिक्री के लिए नीति

987. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए शराब की बिक्री हेतु नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी के रेस्तराओं में अब खुले आम शराब की बिक्री का प्रस्ताव है और क्या इस नई नीति के अधीन शराब की नई दुकानें भी खोली जायेंगी, और

(घ) यदि हां, तो इस नीति के उद्देश्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) नई नीति के अधीन एल-1 लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि ये दुकानें एल-2 लाइसेंस धारियों के अधीन ही रहेंगी रेस्ताराओं में खुले रूप से शराब बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है । नई नीति के अधीन केवल वे ही रेस्तरां, जिनके पास एल-4 लाइसेंस हैं, शराब, बीयर और अन्य प्रकार की आई० एम० एफ० एल० (भारत में निर्मित विदेशी शराब) बेच सकते हैं। पुरानी नीति के अनुसार इन रेस्तराओं को केवल शराब और बीयर बेचने की अनुमति थी ।

नई आबकारी नीति के उद्देश्य, प्रक्रिया को सरल बनाना, अनाचार को हटाना, उत्पादित ब्रांड की जांच करना, सुरक्षापूर्ण मदिरा उपलब्ध कराना, तथा इसके व्यापार से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना है ।

Racing in the Country

988. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to slate :

(a) whether Government have at any stage conducted any study regarding racing in the country;

(b) if so the findings thereof; and if not, the reasons therefor;

(c) what steps are proposed to be taken to attain uniformity in this sphere ;

(d) whether Government have, at any stage, also considered the desirability of setting up of a National Commission to inquire into and examine every aspect of racing in the country, and the creation of a statutory body like the TURF Authority of India; and

(e) if not, whether Government would consider the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Central Government have not conducted any study on the subject. 'Racing' falls under the purview of '.Betting